न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–30 / 2022

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 थानसिंह 2 दुर्जनसिंह 3 सोहनसिंह 4 झबरसिंह पिसरान रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।	बनाम	1 रूपसिह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री डूगरसिंह महेचा, वकील वादी पक्ष।
2. श्री नाथूराम प्रजापत, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 09.06.2022

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है तथा नाथूसिंह के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जालीपा पटवार क्षैत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 634 / 190 रकबा 05.11 बीघा, खसरा संख्या 635 / 184 रकबा 11.12 बीघा कुल रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 509 / 190 रकबा 130.03 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि नाथूसिंह के फौतगी पर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके भाईयों के नाम दर्ज हुई, जो बाद बंटवाडा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 रूपसिंह के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हिन्दु उतराधिकारा अधिनियम की धारा 06 के अनुसार जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित होकर ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी रूपसिंह के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 03 सोहनसिंह पुत्र रूपसिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल निसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नक्शा, खतौनि बन्दोबस्त की प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 है। वादी द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि मे वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादी संख्या 03 ने वारिसान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रूपसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी संतव 2073 से 2076, प्रदर्श–01 व नक्शा प्रदर्श–02 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक ईकबाली जवाब दावा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जालीपा पटवार क्षैत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 634 190 रकबा 05.11 बीघा, खसरा संख्या 635/184 रकबा 11.12 बीघा कुल रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 509/190 रकबा 130.03 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 रूपसिंह के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया किया जाता है। चौसाला जमाबन्दी संवत 2073–2076 में उक्त भूमि एसबीबीजे शाखा बाडमेर के अधीन रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/06/22

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर